# हमारी पंचायत–हमारी योजना

## ग्राम पंचायत स्तर की सहभागी विकास योजनाएं तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

एस०डी०ए० कॉम्पलैक्स, ब्लॉक नं० 27, कसुम्पटी, शिमला–171009

# पंचायती राज अपना राज

## आओ मिलकर सोचें हम
## स्थानीय विकास की राह खोजें हम

14वें वित्तायोग के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजना तैयार करना अनिवार्य है। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी वार्षिक विकास योजना अवश्य तैयार करे।

पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.
**Website:- www.hppanchyat.nic.in**

# अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

| पद | फोन न० |
|---|---|
| निदेशक, पंचायती राज विभाग, शिमला | 0177-2623820 |
| अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, शिमला | 0177-2623814 |
| उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, शिमला | 0177-2623805 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर | 01978-223871 |
| जिला पंचायत अधिकारी, सोलन | 01792-223756 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, सिरमौर | 01702-222272 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, शिमला | 0177-2657028 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर | 01972-222407 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, कुल्लू | 01902-222306 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, चंबा | 01899-222204 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, किन्नौर | 01786-222290 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, ऊना | 01975-226007 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा | 01892-223209 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, मंडी | 01905-235543 |
| ज़िला पंचायत अधिकारी, लाहौल स्पीति | 01900-222457 |
| प्रिंसीपल, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा | 0177-2740227 |
| प्रिंसीपल, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, बैजनाथ | 01894-263041 |
| प्रिंसीपल, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, थुनाग | 01907-257588 |
| प्रबंधक, पंचायत भवन शिमला–1 | 0177-2657997 |

# विकास की राह पर हम साथ-साथ

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ मुद्रणालय, शिमला-४ द्वारा मुद्रित

# विषय – सूची


| | | | |
|---|---|---|---|
| अध्याय 1 : | पृष्ठभूमि तथा हिमाचल प्रदेश में विकेन्द्रीकृत योजना का संदर्भ | | 1–2 |
| | 1 | पृष्ठभूमि | 1 |
| | 1.2 | हमारी पंचायत हमारी योजना की आवश्यकता व औचित्य | 1 |
| अध्याय 2 : | कार्यों की पहचान | | 3 |
| अध्याय 3 : | वित्तीय संसाधनों (Resource Envelope) की पहचान व संगठन | | 4–7 |
| अध्याय 4 : | ग्राम पंचायत विकास हेतु वातावरण निर्माण | | 8–10 |
| | 4.1 | राज्य स्तर पर वातावरण निर्माण | 8 |
| | 4.2 | स्थानीय स्तर पर वातावरण निर्माण | 8 |
| | 4.3 | प्राथमिक दौर की बैठकें | 9 |
| | 4.4 | विभिन्न स्तरों पर दायित्व | 10 |
| अध्याय 5 : | स्थिति का विश्लेषण और सहभागी योजना | | 11–16 |
| | 5.1 | स्थिति का विश्लेषण | 11 |
| | 5.2 | परिकल्पना प्रक्रिया | 13 |
| | 5.3 | वित्त रहित विकास | 13 |
| | 5.4 | आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण | 14 |
| | 5.5 | परामर्श समिति | 15 |
| अध्याय 6 : | परियोजनाएं तैयार करना तथा ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप देना | | 17–18 |
| | 6.1 | परियोजना तैयार करना | 17 |
| | 6.2 | परियोजना का अनुश्रवण | 18 |
| | 6.3 | जन सेवाओं हेतु मानक | 18 |
| | 6.4 | परियोजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति | 18 |
| अध्याय 7 : | संस्थागत सहायता और योजना उपरांत व्यवस्था | | 19–23 |
| | 7.1 | उच्च स्तरीय पर्यविक्षण समिति | 19 |
| | 7.2 | राज्य स्तरीय परिचालन एवं समन्वय समिति (State level Steering & Co-ordination Committee) | 20 |
| | 7.3 | राज्य स्तरीय संसाधन समूह | 21 |
| | 7.4 | जिला स्तरीय परिचालन एवं संसाधन समूह | 21 |
| | 7.5 | खण्ड स्तरीय समन्वय समिति संसाधन समूह | 22 |
| | 7.6 | धनराशि जारी करना | 23 |
| अध्याय 8 : | सहभागी योजना तथा क्षमतावृद्धि हेतु संस्थागत सहायता | | 24–30 |
| | 8.1 | राज्य स्तर | 24 |
| | 8.2 | राज्य स्तर पर प्रशिक्षण व संस्थागत सहायता | 24 |
| | 8.3 | जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं संस्थागत सहायता | 24 |
| | 8.4 | खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण | 25 |
| | 8.5 | ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण | 25 |
| | 8.6 | प्रशिक्षण का समन्वय | 25 |
| | 8.7 | क्षमतावृद्धि हेतु सूचना, शिक्षा एवं प्रसार | 26 |
| | 8.8 | कठिनाईयों को दूर करना | 26 |

# अध्याय–1

## पृष्ठभूमि तथा हिमाचल प्रदेश में विकेन्द्रीकृत योजना का सन्दर्भ

### 1. पृष्ठभूमि :

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का अनुच्छेद 243(छ) पंचायतों को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान द्वारा स्थानीय विकास के लिए योजना तैयार करने की मुख्य भूमिका ग्राम पंचायतों को इसलिए प्रदान की गई है ताकि ये संस्थाएं निचले स्तर पर योजना तैयार करने के साथ–साथ इन्हें कार्यान्वित करने की नीति निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाएं जो स्थानीय स्तर पर योजनागत विकास व स्थानीय स्वशासन के लिए अनिवार्य है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 के तहत, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं, कार्यक्रमों तथा बजट को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने लिए भी ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का अनुमोदन लेना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 184 भी पंचायतों को विकास योजनाएं तैयार करने हेतु प्राधिकृत करता है।

हिमाचल प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिसने पंचायत स्तर पर सहभागी विकास योजना तैयार करने की मुहीम वर्ष 2001–02 में ''माईक्रोप्लानिंग'' के नाम से आरम्भ की थी। इस दौरान प्रदेश की अनेक पंचायतों ने अपने–अपने क्षेत्र की सहभागी विकास योजनाएं तैयार की परन्तु पर्याप्त धनराशि/वित्तीय संसाधन हस्तांतरित न होने के कारण इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका जिस कारण यह मुहिम आगे नहीं चल पाई।

### 1.2 हमारी पंचायत–हमारी योजना की आवश्यकता व औचित्य :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 ग्राम पंचायतों को कुछ अनिवार्य व हस्तांतरित कार्यों जैसे कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति का रख–रखाव, सार्वजनिक भूमि का प्रबन्धन व विकास, प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों के अनुरक्षण के साथ–साथ कुछ विनियमन से सम्बन्धित कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत करता है। पंचायतें उक्त कार्यों को निष्पादित करने में तभी समर्थ होगी जब उनके पास पर्याप्त वित्तीय तथा मानव संसाधन उपलब्ध होगें।

केन्द्रीय तथा राज्य वित्तायोगों की सिफारिशों से सीधे पंचायतों को संसाधनों के हस्तांतरण ने स्थानीय लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने के साथ–साथ स्थानीय स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण व रख–रखाव सुनिश्चित करने का अवसर इन संस्थाओं को प्रदान किया है ताकि वे आने वाले समय में

स्वायत् संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बने। केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं से भी ग्राम पंचायतों को रोजगार सृजन, आजिविका, ढ़ाचागत विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन तथा अन्य मदों, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आवश्यक है, के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा रही है।

अतः संवैधानिक प्रावधानों, केन्द्रीय व राज्य वित्तायोगों की सिफारिशों के अनुरूप व केन्द्रीय व राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही राशि में भारी बढ़ौतरी के मध्य नजर यह आवश्यक हो गया है कि ग्राम पंचायतें सहभागी योजनाएं बनाएं तथा उनका जन भागीदारी से कार्यान्वयन करें तथा सामाजिक अंकेक्षण करें। पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय लोगों के सहयोग से प्राथमिकताएं तय करनी होगी, अपने वित्तीय संसाधनों का आंकलन करना होगा, परियोजनाएं तैयार करनी होगी और बुद्धिमानी से इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन आबंटित करने होगे। ग्राम पंचायतों को विकास के उन आयामों जिनमें ढांचागत निर्माण, मण्डियों का विकास, मूलभूत नागरिक सुविधाओं (पेयजल, स्वच्छता, गांवों में रोशनी, वृक्षारोपण, गरीबों तथा अति पिछड़ों के लिए आजीविका सुरक्षा इत्यादि शामिल है) का विकास योजना में समावेश करना होगा। अतः ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी विकास योजना तैयार करने के लिए **''हमारी पंचायत–हमारी योजना''** नामक कार्यक्रम एक जन आन्दोलन के रूप में लागू किया जा रहा है। ''हमारी पंचायत हमारी योजना'' में सहभागी पंचायत योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक पग की जानकारी प्रदान की गई है जो निचले स्तर पर विकास योजना तैयार करने में कारगर साबित होगी।

*******

# अध्याय—2

## कार्यों की पहचान

योजना तैयार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सर्वप्रथम उन कार्यों की पहचान करके सूचीबद्ध करें जो ग्राम पंचायतों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं, वित्तायोग की सिफारिशों, केन्द्र व राज्य प्रयोजित योजनाओं इत्यादि के तहत सौंपे गए है या ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में पड़ते है। प्रदेश में ग्राम पंचायतें वर्तमान में मुख्यतयः निम्न कार्य कर रही है या करने हेतु प्राधिकृत हैः—

**मूलभूत नागरिक सेवाएंः**

- सड़के तथा पैदल मार्ग
- स्वच्छता एवं कचरा प्रबन्धन
- श्मशान घाट
- पेयजल
- प्राथमिक शिक्षा
- सिंचाई एवं जन—स्वास्थ्य
- गलियों का विद्युतिकरण
- खेल मैदान
- स्वास्थ्य एवं पोषण
- गृह निर्माण
- महिला एवं बाल विकास

**गरीबी उन्मूलनः**

- रोजगार
- आजीविका तथा वर्तमान आजीविका का अपवर्धन (कृषि, बागवानी, पशुपालन)
- उन्नति व पिछड़ापन का सयोजनः स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से।

**आधारभूत संरचनाः**

- पंचायत घर
- आंगनवाड़ी
- स्कूल

**प्राकृतिक संसाधनः**

- जल
- जंगल
- जमीन
- लघु प्राकृतिक सम्पदा

**सामाजिक न्यायः**

- अनुसूचित जाति व जनजाति
- महिला विकास
- अक्षमता
- शिशु विकास
- वरिष्ठ नागरिक
- सामजिक तौर पर कमजोर वर्गों का विकास

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर चर्चा करके उन कार्यों को भी इस सूची में शामिल करें जिन्हें उपरोक्त के अतिरिक्त पंचायत स्थानीय स्तर पर निष्पादित कर रही है।

# अध्याय–3

## वित्तीय संसाधनों (Resource Envelope) की पहचान व संगठन

विकास की प्राथमिकताएं तय करने के लिए संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपलब्ध संसाधनों के मध्यनजर ही योजना तैयार करने के उपरान्त इसके लिए संसाधन आबंटित किए जा सकते हैं। संसाधन के मूलतः दो प्रकार के हाते हैं, वित्तीय संसाधन तथा मानव संसाधन। योजना तैयार करने के लिए वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ मानव संसाधनों की पहचान करना भी आवश्यक है ताकि योजना को ठीक ढ़ंग से लागू व कार्यान्वित किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण मौटे तौर पर निम्न प्रकार से हैः–

- **14वां वित्तायोग**
- **केन्द्र प्रायोजित योजनाएं**
    - मनरेगा
    - आई०ए०वाई०
    - एसवीएम
    - एन०आर०एल०एम
    - एन०एच०एम० इत्यादि
- **राज्य प्रायोजित योजनाएः**
    - राजीव आवास योजना
    - विकेन्दीकृत योजना
    - सूखा राहत
    - प्राकृतिक आपदा
    - विधायक क्षेत्र विकास निधि
- **राज्य वित्तायोग**
- **कर तथा गैर कर से पंचायत को प्राप्त आय**
- **जन सहयोग / अंशदान**
- **ऋण इत्यादि**

ग्राम पचांयत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का सावधानीपूर्वक आंकलन व संगठन किया जाए तथा इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करें। यहां यह भी सुझाव दिया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए क्योंकि कुछ

विभाग अपना बजट पंचायत की संस्तुति के उपरान्त स्वीकृत करते हैं अतः ऐसे कार्यों/योजनाओं का भी ग्राम पंचायत विकास योजना में समायोजन किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात् पंचायत अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को निम्नानुसार वर्गीकृत करें:—

- संसाधन जो पूर्णतयः सर्शत (Tied) हैं जैसेकि इन्दिरा आवास योजना व राजीव आवास योजना इत्यादि जिनको ग्राम पंचायत अपनी इच्छानुसार किसी अन्य कार्यक्रम पर व्यय नहीं कर सकती।
- संसाधन जो विना शर्त (Un-tied) है जिसमें 14वां वित्तायोग तथा पंचायतों के अपने संसाधन शामिल है ऐसे संसाधनों को खर्च करने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा ही लिया जाना है।
- इसके अतिरिक्त कुछ वित्तीय संसाधन पंचायत स्तर ऐसे होते हैं जिनको खर्च करने के लिए कुछ मापदण्डों के भीतर रहते हुए पंचायत निर्णय लेती है इनमें मनरेगा तथा राज्य व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि शामिल है। ऐसे संसाधनों को अर्ध सर्शत (Partially tied) संसाधनों की श्रेणी में डालें।

**अतः वित्तीय संसाधनों (Resource Envelope) को निम्न प्ररूप पर तैयार किया जा सकता है:—**

**प्ररूप**

| क्रम संख्या | ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधन | राशि रूपयों में | संसाधन का प्रकार (Tied/Un-Tied /Partially tied) | कुल राशि | विकासात्मक गतिविधि जिस पर यह राशि व्यय की जा सकती है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14वां वित्तायोग | | | | |
| 2. | चौथा राज्य वित्तायोग | | | | |
| 3. | पंचायत के अपने कर और गैर कर संसाधन | | | | |
| 4. | मनरेगा | | | | |
| 5. | केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि | | | | |
| 6. | लाभार्थी अशंदान | | | | |
| 7. | ऋण .... | | | | |
| 8. | अन्य मद् | | | | |
| 9. | दान इत्यादि | | | | |

वित्तीय संसाधनों का उपरोक्त अनुसार आंकलन तथा संगठन करना इसलिए आवश्यक है ताकि लोगों की सहभागिता के अनुरूप विकास की प्राथमिकताओं हेतु धनराशि का आबंटन उपलब्ध संसाधनों के मध्यनजर किया जा सकें।

## ग्राम पंचायत स्तर पर मानव संसाधनों की पहचान व उपयोगः

हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी कार्यरत है जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7(5) के अन्तर्गत ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के अवचार की जांच और रिपोर्ट करने की शक्ति भी ग्राम पंचायत को प्रदान की गई है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के अतिरिक्त ग्राम पचायत स्तर पर ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभागों द्वारा कुछ मूलभूत कर्मचारी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाए गए है जो ग्राम पंचायत के नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करते है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में उक्त सभी कर्मचारियों की अहम भूमिका है। अतः इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदेश में वर्तमान में पंचायत स्तर पर उपलब्ध मूलभूत कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को निम्नानुसार पहचान की जा सकती हैः—

## ग्राम पचांयत के मूल कर्मचारीः

| क्रम संख्या | पदनाम | कार्यक्षेत्र | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | पंचायत सचिव/ पंचायत सहायक | ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए पूर्णतयः उत्तरदायी | ग्रामीण विकास/जिला परिषद् |
| 2. | ग्राम रोजगार सेवक | मनरेगा का कार्यनवयन | ग्रामीण विकास |
| 3. | तकनीकी सहायक | निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर समस्त विकास योजनाओं के तकनीकी कार्य के लिए पूर्णतया उत्तरदायी | पंचायती राज संस्था |
| 4. | पंचायत चौकीदार | पंचायत के कार्य में सहायता | —यथोपरि— |
| 5. | सिलाई अध्यापिका | पंचायत स्तर पर व्यवसायिक प्रशिक्षण | —यथोपरि— |
| 6. | कनिष्ठ अभियन्ता | निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर समस्त विकास योजनाओं के तकनीकी कार्य के लिए पूणतयः उत्तरदायी | पचांयती राज संस्था |

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य विभागों के कर्मचारी कार्यरत है जो ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी है उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

| कम संख्या | पदनाम | कार्यक्षेत्र | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका | ग्राम पचांयत स्तर पर महिला एवं शिशु कल्याण | महिला एवं ि शशु कल्याण विभाग। |
| 2. | जल संरक्षक | पंचायत स्तर पर पेयजल योजनाओं का रख–रखाव | सिचांई एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 3. | पशु सहायक | पशुपालन से सम्बन्धित कार्य। | पशुपालन / जिला परिषद् |
| 4. | स्वास्थ्य कार्यकर्ता | स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्य। | स्वास्थ्य विभाग। |
| 5. | पटवारी | राजस्व से सम्बन्धित कार्य। | राजस्व विभाग। |

ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य विभागों के कार्यरत कर्मचारियों को उक्त अनुसार सूचीबद्ध करें जिनको पंचायत स्तर पर सहभागी विकास योजना, **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** के कार्य में शामिल किया जा सकता है।

*******

# अध्याय–4

## ग्राम पंचायत विकास हेतु वातावरण निर्माण

योजना निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व ग्राम सभा क्षेत्र की आम जनता व हितधारकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए वातावरण निर्माण आवश्यक है ताकि इस प्रक्रिया में सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाए। वातावरण निर्माण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगीः–

### 4.1 राज्य स्तर पर वातावरण निर्माणः

विकेन्द्रीकृत सहभागी पंचायत योजना के लिए एक स्थानीय नाम **"हमारी पंचायत हमारी योजना"** दिया गया है तथा स्थानीय पंचायत योजना की पूर्ण प्रक्रिया को इस नाम से प्रचारित/प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश का पंचायती राज विभाग वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सभी माननीय मन्त्रीगणों/विधायकगणों को विभिन्न स्तरों पर **"हमारी पंचायत हमारी योजना"** के बारे में चर्चा करने हेतु अनुरोध किया जाएगा तथा उच्च स्तरीय राज नेताओं को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाएगा। राज्य स्तर से विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार/प्रसार किया जाएगा। स्थानीय आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्रों व एफ०एम० रेडियो इत्यादि का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायत योजना के बारे में निचले स्तर तक जानकारी दी जा सके। राज्य सरकार के मुख पत्र गिरीराज साप्ताहिक को पंचायत योजना के विभिन्न आयामों को ंपचायत स्तर पर प्रचारित व प्रसारित करने हेतु उपयोग किया जाएगा क्योंकि यह साप्ताहिक पत्र सभी ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जा रहा है।

### 4.2 स्थानीय स्तर पर वातावरण निर्माणः

जिला के जिलाधीश, जिला पंचायत अधिकारी व सचिव जिला परिषद व जिले के विभिन्न विकासात्मक विभागों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर सहभागी पंचायत योजना अर्थात **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** के बारे में वातावरण निर्माण में अहम भूमिका निभाएगें। जिला स्तर पर वातावरण निर्माण के लिए निम्न तरीके अपनाये जा सकते हैंः–

- ➢ जिला साक्षरता समितियों तथा जिला लोक सम्पर्क विभाग के स्थानीय कलाकारों को **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** की सूचना को प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- ➢ विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी इस अभियान को अपने दिशानिर्देश में चलाएगें। पंचायत स्तर पर इस सन्दर्भ में बैनर इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा साथ ही कलाजथों के माध्यम से आम जनता को **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** के महत्व व लाभों के बारे में बताया जाएगा।
- ➢ सभी पचांयती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस मुहिम में जोड़ा जाएगा और उन्हें ग्राम सभा तथा उप ग्राम सभा स्तर पर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा

जाएगा।

- सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पत्रों तथा मार्गदर्शिकाओं के माध्यम से **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** के बारे में समझाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत कर्मचारियों, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों, नेहरू युवा केन्द्रों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों को भी इस मुहीम में शामिल किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के कर्मचारियों को इस मुहीम में जोड़ा जाएगा।

## 4.3 प्राथमिक दौर की बैठकें:

जिला, खण्ड स्तर पर सभी विभागों की प्राथमिक दौर की बैठकें जिलाधीश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी जिसमें पंचायत स्तर पर **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा सभी विभागों से इस प्रक्रिया में जुड़ने का आह्वान किया जाएगा। इसी प्रकार की बैठकें विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, विकास खण्ड स्तर विभिन्न विभागों की खण्ड स्तरीय प्रतिनिधियों तथा ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उप प्रधानों व पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन करेगा तथा सभी लोगों को **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आह्वान करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति का पंचायत निरीक्षक, उप निरीक्षक, खण्ड अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के अतिरिक्त अन्य अधिकारी/कर्मचारी जिनका सहयोग लेना वह उचित समझे, इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों, महिला मण्डलों, गैर सरकारी संगठनों तथा विभिन्न विभागों से सेवानिवृत कर्मचारियों की बैठक करेगा जिसमें **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इन बैठकों में खण्ड स्तर से एक अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहेगा जो इन बैठकों में स्थानीय विकास योजना के बारे में विभिन्न शंकाओं का समाधान करेगा। इस बैठक में पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों तथा सेवानिवृत कर्मचारियों का एक ऐसा समूह तैयार किया जाएगा जो स्वेच्छा से पंचायत स्तर पर विकास योजना के कार्यों में अपना योगदान देने के इच्छुक हो ऐसे समूह को विकास खण्ड स्तर पर एक दिवसीय जागरूकता सम्मेलन में आमन्त्रित किया जाएगा। यह समूह पंचायत स्तर पर न केवल पंचायत विकास योजना को तैयार करने में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा बल्कि योजना को बनाने में यथा सम्भव मार्गदर्शन भी देगा। प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि वे पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लें ताकि विकास के समस्त आयामों में समाज के सभी वर्गों की अपेक्षाओं का समावेश हो सके।

## 4.4 विभिन्न स्तरों पर दायित्वः

जिला स्तर पर समस्त प्रक्रिया जिलाधीश के नेतृत्व में चलेगी। जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत विकास योजना हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे जो विकास खण्ड की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करेगा। वह विकास खण्ड या विकास खण्डों के समूहों हेतु एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा। विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** के प्रभारी अधिकारी होंगे जिसका पंचायत निरीक्षक, खण्ड अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता सहयोग करेंगे। विकास खण्ड स्तर पर भी पंचायतों के समूहों के लिए एक अलग प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा जो समस्त योजना प्रक्रिया के निरीक्षण के साथ–साथ विभिन्न स्तर पर उठने वाली शंकाओं का समाधान भी करेगा। जिला स्तर पर जिलाधीश द्वारा विकास खण्ड बार निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी विकास खण्ड में योजना की प्रक्रिया समयसीमा के भीतर पूर्ण की जा सके। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति भी पंचायत बार समय सारणी तैयार करेगा जिसमें पंचायत योजना के सभी महत्वपूर्ण कदमों के निरीक्षण का उल्लेख किया गया हो। पंचायतों के समूह पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी समय–समय पर उनको आबंटित पंचायतों का भ्रमण करेगें और सबसे पहला भ्रमण योजना तैयार करने की प्रक्रिया से पूर्व होगा ताकि वह इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों का पूर्वालोकन कर सकें और इन समस्याओं के समाधान हेतु समय रहते आगामी पग उठा सके। ग्राम पंचायत विकास योजना के अभियान को त्रिस्तरीय ढ़ाचे द्वारा निम्नानुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाएगाः–

| क्रम संख्या | स्तर | निरीक्षण के लक्ष्य की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1. | पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी | 5 प्रतिशत |
| 2. | जिलाधीश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् तथा जिला स्तरीय विभाग के अधिकारी/अन्य कर्मचारी | 10 प्रतिशत |
| 3. | खण्ड विकास अधिकारी व खण्ड स्तरीय अन्य अधिकारी/कर्मचारी | 50 प्रतिशत |

*******

# अध्याय–5

# स्थिति का विश्लेषण और सहभागी योजना

## 5.1 स्थिति का विश्लेषण:

ग्राम पचांयत स्तर पर एक योजना दल का गठन किया जाएगा जो वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेगें। योजना दल निम्न प्रकार से गठित होगा:

1. प्रधान
2. उप प्रधान
3. पंचायत सचिव / पंचायत सहायक
4. ग्राम रोजगार सेवक
5. ग्राम पंचायत स्तर पर स्थाई समितियों के सदस्य
6. विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा,वन, राजस्व, कृषि तथा बागवानी इत्यादि विभागों ग्राम स्तरीय कर्मचारी
7. स्वंय सेवी संस्थाओं, महिला मण्डल, युवक मण्डल, नेहरू युवा केन्द्र और सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी।
8. अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत उचित समझे।

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित दो स्थाई समितियों (कार्य समिति तथा बजट समिति) को कार्यशील किया जाएगा तथा इसके साथ–साथ ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 23(6) के अन्तर्गत अन्य विषयवार स्थाई समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक विषयवार स्थाई समिति अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों से सम्बन्धित पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध ढ़ाचे, संसाधन और सेवाओं का विश्लेषण करेगी। मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक स्थाई समिति के सम्भावित कार्यक्षेत्रों का विवरण विश्लेषण हेतु **'अनुबन्ध–1'** पर दिया गया है। सभी विषयवार स्थाई समितियों द्वारा वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के उपरान्त अपनी–अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को सौपी जाएगी जो इन रिपोर्टों को पहले ग्राम पचांयत के योजना दल को सौपेगी जो इसका विभिन्न मानकों पर उपलब्ध आंकड़ों तथा स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श करके मूल्यांकन करेगी। वित्तीय संसाधनों, मानकों तथा अन्य संसाधनों के सम्बन्ध में समूह चर्चा की जाएगी ताकि योजना दल वर्तमान स्थिति का वास्तविक मूंल्याकन कर सकें। ग्राम पंचायत को सामान्यतः अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर निम्न का विश्लेषण करना होगा:–

**क ढ़ाचा :**

- ➢ सड़कें

- रास्ते
- कल्वर्ट
- भवन जिसमें ग्राम पंचायत का कार्यालय भी शामिल है इत्यादि

**ख नागरिक सुविधाएं:**

- पेयजल
- स्वच्छता, तरल तथा ठोस करचें के प्रबन्धन के सहित
- गलियों की रोशनी
- खेल के मैदान
- शमशान घाट/कब्रिस्थान

**ग मानव विकास:**

- आंगनवाड़ियाँ
- पाठशालाएं
- पुस्तकालय
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

**घ आर्थिक विकास और आजीविका:**

- कृषि और इससे सम्बन्धित क्षेत्र सिंचाई सहित
- स्थानीय उत्पादन
- ग्रामीण हाट, गौदाम इत्यादि
- वित्तीय समावेश

**ङ सामाजिक विकास**

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
- शिशु
- महिला
- वरिष्ठ नागरिक
- अक्षम व्यक्ति
- अन्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग

### च प्राकृतिक संसाधन

- जल
- जंगल
- जमीन
- लघु सम्पदा

**नोटः** उक्त सूचि में स्थानीय जरूरतों के अनुसार अन्य मदें जोड़ी जा सकती है।

उक्त प्रक्रिया के बाद ग्राम पंचायत का योजना दल अपनी संस्तुति ग्राम पंचायत की बजट समिति को प्रस्तुत करेगी जो उपलब्ध बजट का आंकलन करके कार्यावार अनुमानित बजट की सिफारिशें करेगी। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत, पंचायत विकास रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें पारिस्थितिक विश्लेषण को समेकित किया जाएगा।

## 5.2 परिकल्पना प्रक्रियाः

स्थिति के विश्लेषण, स्थाई समितियों की सम्बन्धित विभागों के साथ ग्राम सभा में चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत योजना दल निम्न का आंकलन करेगाः

1. लम्बी अवधि की जरूरतें अर्थात पंच–वर्षीय योजना
2. मूल मानकों पर आधारित ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति

वर्तमान स्थिति, कमियों, अभाव और भविष्य की जरूरतों के आंकलन के पश्चात ग्राम पंचायत योजना दल सावधानीपूर्वक निम्न की पहचान करेगाः

- ढ़ाचें में अधूरी कड़िया
- सेवाओं में कमी–मानकों के मुकाबलें
- आर्थिक विकास हेतु क्षमता
- मानव विकास में कमियां
- सामाजिक विकास में समस्याएं
- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन से सम्बन्धित चिन्ताएं

## 5.3 वित्त रहित विकासः

सर्वप्रथम ग्राम पंचायत सभी ग्राम सभा सदस्यों को यह मार्गदर्शन देगी कि उन सामाजिक आयामों के समाधान हेतु चर्चा उपरान्त योजना बनाई जाए जिसमें वित्त की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि व्यक्तियों की सक्रिय कोशिशें काम आएगी। ऐसी प्रक्रिया से स्थानीय लोगों में योजना के प्रति अपनापन तथा गावों में सामाजिक बन्धन का एहसास होगा। पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए इस योजना में निम्न मदें

शामिल की जा सकती है:

- ग्राम पंचायत में सभी अकुशल मजदूरों को रोजगार (मनरेगा के तहत)
- ग्राम पंचायत में पूर्ण जल संधारण (जल संग्रहण की योजनाओं के माध्यम में)
- नशा मुक्त पंचायत
- अपराध मुक्त पंचायत
- पूर्ण साक्षर पंचायत
- पारदर्शी ग्राम पंचायत
- दहेज प्रथा मुक्त ग्राम पचायत
- बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत
- बर्जूगों/अक्षम व्यक्तियों की सहायक ग्राम पंचायत
- सम्पूर्ण स्वच्छ ग्राम पंचायत
- शतप्रतिशत संस्थागत प्रसूति ग्राम पंचायत
- अपने संसाधनों जैसे कर इत्यादि की शतप्रतिशत वसूली वाली ग्राम पंचायत
- बेहतर लिंग अनुपात वाली ग्राम पंचायत

स्थिति के विश्लेषण हेतु निम्न प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है:-

| क्षेत्र | उपलब्ध ढांचा/सेवाएं | संख्या | आवश्यकता/मांग | कमी/अधूरी कड़िया | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ढांचा | | | | | |
| नागरिक सेवाएं | | | | | |
| आर्थिक विकास | | | | | |
| समाजिक विकास | | | | | |
| प्राकृतिक संसाधन | | | | | |

## 5.4 आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण:

अधूरी कड़ियों तथा कमियों का विश्लेषण करने के उपरान्त क्षेत्रवार लम्बी अवधि की योजना प्राथमिकताओं का दस्तावेज ग्राम पंचायत योजना दल द्वारा तैयार किया जाएगा इसमें से तुरन्त प्राथमिकता

वाले क्षेत्रों की निम्न प्रारूप अनुसार पहचान की जाएगी जिसे वार्षिक योजना में शामिल किया जा सके।

| क्षेत्र | मद् | लम्बी अवधि की प्राथमिकता | संख्या | वर्तमान वर्ष के लिए प्राथमिकता | प्राथमिकता की वरियता | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ढांचा | | | | | | |
| नागरिक सेवाएं | | | | | | |
| आर्थिक विकास | | | | | | |
| समाजिक विकास | | | | | | |
| प्राकृतिक संसाधन | | | | | | |

सर्वप्रथम प्राथमिकताओं का निर्धारण ग्राम पंचायत योजना दल द्वारा किया जाएगा उसके पश्चात् इस पर ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा की जाएगी और समस्त प्रस्तावना को समेकित किया जाएगा।

## 5.5 परामर्श समितिः

उपरोक्त प्रस्तावनाओं को ग्राम सभा की परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो प्राथमिकताएं तय करके समस्त प्रस्तावनाओं को प्राथमिकताओं के अनुसार क्रमबद्व करेगी। परामर्श समिति यह भी आकलन करेगी कि उक्त प्रस्तावनाओं में से कौन–कौन सी प्रस्तावनाओं को कार्यान्वित करने से सर्वाधिक लोगों को लाभ होगा। समिति यह भी सिफारिश करेगी कि किन कार्यों को अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा इत्यादि के साथ मिलाकर (Convergence mode) कार्यान्वित किया जा सकता है। परामर्श समिति का गठन प्रत्येक वार्ड से सेवानिवृत/कार्यरत कर्मचारियों को मनोनीत करके किया जाएगा इसमें ग्राम पंचायत स्तर को छोड़कर इलावा अन्य स्तरों के पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को भी नामित किया जा सकेगा। समिति आपसी सहमति से अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष तथा एक अन्य व्यक्ति को सचिव नामित करेगी। समिति की बैठकें पंचायत मुख्यालय पर होगी तथा निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। समिति अपनी सिफारिशों/संस्तुतियों को लिखित रूप में ग्राम पंचायत को सौंपेगी। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त संस्तुतियों सहित समस्त प्रस्तावनाओं को **ग्राम सभा के समक्ष अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अतः "हमारी पंचायत–हमारी योजना" को ग्राम सभा अनुमोदित करेगी।**

अनुमोदत योजना की प्रतिलिपि पंचायत समिति को प्रेषित की जाएगी जहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा सभी ग्राम पंचायतों की योजनाओं को समेकित कर जिला परिषद् को भेजा

जाएगा। जिला परिषद् समस्त जिला की योजनाओं का समेकन करेगी तथा सचिव जिला परिषद् इसे जिला योजना समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखेगा। जिला योजना समिति को ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित येाजना में फेरबदल करने का अधिकार नहीं होगा यदि जिला योजना समिति एक मास के भीतर योजनाओं का अनुमोदन नहीं करती तो इसे स्वतः ही अनुमोदित माना जाएगा तथा सचिव जिला परिषद् ऐसी स्वतः अनुमोदित योजनाओं की प्रति पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतो को भेजेगा। ग्राम पंचायतें यथानुसार इसे कार्यान्वित करेगी। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदें इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करने हेतु प्राधिकृत होगी।

*******

# अध्याय–6

# परियोजनाएं तैयार करना तथा ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप देना

## 6.1 परियोजना तैयार करनाः

ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित **"हमारी पंचायत–हमारी योजना"** में शामिल परियोजनाओं का प्राथमिकता अनुसार सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी प्राकलन तैयार करवाएगी। प्राकलन में मद्वार अनुमानित लागत, समय सीमा, निष्पादन की व्यवस्था, कार्य की प्रगति को मापने के मापदण्ड तथा परियोजना का सम्भावित लाभ दर्शाया जाएगा। जिस स्तर के तकनीकी अधिकारी ने प्राकलन तैयार किया है उससे एक श्रेणी ऊपर का तकनीकी अधिकारी परियेाजना के प्राकलन को पुनः जांच करेगा। उदाहरण के लिए यदि प्राकलन तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किया गया है तो उसकी तकनीकी जांच कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाएगा और यदि प्राकलन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो तो उसका पुनः जांच सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाएगा।

तकनीकी पुनः जांच होने के पश्चात् परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी तथा राशि आबंटित करते समय उस योजना/मद् का भी उल्लेख किया जाएगा जिसके तहत राशि आबंटित की जा रही हो। यदि परियेाजना ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधनों में शामिल मदों के अन्तर्गत नहीं आती तो इसे सम्बन्धित विभाग को धनराशि के आबंटन हेतु भेजा जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक योजना प्राथमिकता तय करने के उपरान्त वित्तीय संसाधन दर्शाते हुए निम्न प्रपत्र पर तैयार की जा सकती है:–

| वित्त वर्ष | | | |
|---|---|---|---|
| परियोजना | अनुमानित लागत | धनराशि का स्त्रोत<br>केन्द्रीय वित्तायोग/राज्य वित्तायोग/ मनरेगा/अन्य केन्द्रिय व राज्य प्रयोजित योजनाए/ अपनी निधी/अन्य विभागों से प्राप्त राशि। | कार्यकारी संस्था |

यदि कोई परियोजना पंचायत तथा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कनवरजंस मोड में कार्यान्वित की जाती है तो स्पष्ट रूप से धनराशि के स्त्रोत तथा कार्य की प्रवृति का उल्लेख करना होगा। वित्तीय संसाधनों तथा कार्यकारी संस्था को दर्शाते हुए सम्पूर्ण योजना ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा ग्राम सभा में प्रत्येक परियोजना हेतु निर्धारित धनराशि पर विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त इसे अनुमोदित किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2015–16 के लिए योजना तैयार करना सम्भव नहीं होगा जबकि आगामी वर्ष 2016–17 की वार्षिक योजना अक्तूबर 2016 तक तैयार की जाए।

जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं तथा अन्य विभागों के सहयोग से निष्पादित की जाने वाली परियेाजनाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। ग्राम पंचायत विकास योजना समय पर तैयार की जाए इसके लिए सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण तथा पर्यावेक्षण किया जाएगा।

## 6.2 परियोजना का अनुश्रवण:

पंचायत का योजना दल तथा सम्बन्धित स्थाई समिति निम्न का अनुश्रवण करेगी:–

1. क्या परियोजना सही दिशा में चल रही है।
2. क्या इसे हेतु निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्य चल रहा है।
3. क्या व्यय की गई राशि के अनुपात में कार्य की गुणवत्ता है।

ग्राम पंचायत की स्थाई समिति और परियोजना दल अपनी रिपोर्ट व निष्कर्षों को गाम पंचायत की मासिक बैठक में प्रस्तुत करेंगे ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके।

ग्राम पंचायत, विकास खण्ड जिला तथा राज्य स्तर पर परियोजना की भौतिक निरीक्षण हेतु अनुश्रवण समितियां गठित की जाएगी जो समय–समय पर परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण करेगी। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो स्वतन्त्र तीसरी संस्था से भी परियोजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन करवाया जा सकता है। अनुश्रवण समिति की सिफारिशों के अनुरूप ग्राम पंचायत आगामी कार्यवाई करेगी।

## 6.3 जन सेवाओं हेतु मानक:

ग्राम पंचायत जन सेवाओं को प्रदान करने के लिए मानक तैयार करेगी उदाहरण के लिए यदि ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है तो ग्राम पंचायत यह निर्धारित करेगी कि आपूर्ति कब तथा कितने समय के लिए प्रदान करेगी। आने वाले समय में ग्राम पंचायत इस सुविधा को लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार देने हेतु प्रयत्न करेगी। इसी प्रकार अन्य सुविधाओं जैसे प्राथमिक शिक्षा, टीकाकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गलियों की सफाई इत्यादि के सम्बन्ध में भी मानक तैयार किए जाएंगे।

## 6.4 परियोजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अधिसूचित हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट, लेखा, अंकेक्षण, कार्य, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन परियोजनाओं की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति विहित प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

*******

# अध्याय–7

## संस्थागत सहायता और योजना उपरांत व्यवस्था

### 7.1 उच्च स्तरीय पर्यावेक्षण समिति:

प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पर्यावेक्षण समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | सदस्य |
| 2. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) | सदस्य |
| 3. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) | सदस्य |
| 4. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (मतस्य) | सदस्य |
| 5. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) | सदस्य |
| 6. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (बागवानी) | सदस्य |
| 7. | अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) | सदस्य |
| 8. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण ) | सदस्य |
| 9. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य) | सदस्य |
| 10. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) | सदस्य |
| 11. | अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) | सदस्य |
| 12. | प्रधान सचिव (आर्युवेदा) | सदस्य |
| 13. | प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा) | सदस्य |
| 14. | प्रधान सचिव (उद्योग) | सदस्य |
| 15. | प्रधान सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) | सदस्य |
| 16. | सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ) | सदस्य सचिव |

समिति की त्रैमासिक बैठक होगी जिसमें योजना की प्रक्रिया की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस सन्दर्भ में उत्पन्न विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करके समाधान हेतु उपाय खोजे जाएंगे। इसके साथ–साथ विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के बारे में भी आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे ताकि ग्राम पंचायत योजना एक समेकित योजना बने।

### 7.2 राज्य स्तरीय परिचालन एवं समन्वय समिति (State level Steering & Co-ordination Committee):

सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक परिचालन एवं समन्वय समिति का गठन किया जाएगा जिसके अन्य सदस्य निम्न प्रकार से होंगेः–

1. निदेशक, युवा सेवाएं
2. निदेशक, महिला एवं शिशु कल्याण
3. निदेशक, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक
4. निदेशक, शिक्षा
5. मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
6. निदेशक, बागवानी,
7. निदेशक, कृषि
8. निदेशक, राजस्व
9. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
10. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
11. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति
12. प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन
13. निदेशक, उद्योग
14. निदेशक, लोक प्रशासन संस्थान
15. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
16. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण
17. जिलाधीश (प्रत्येक मण्डल से एक)
18. जिला पंचायत अधिकारी (प्रत्येक मण्डल से एक)
19. उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. (प्रत्येक मण्डल स एक)
20. वित्त विभाग का प्रतिनिधि

21. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
22. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज (सदस्य सचिव)

उक्त कमेटी को उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य, जो क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ हो, को भी उक्त बैठकों में बुलाने का अधिकार।

यह समिति दो मास में एक बार बैठक बुलाएगी जिसमें पंचायत विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा विभिन्न कमियों को पूर्ण करने हेतु यथासम्भव दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

## 7.3 राज्य स्तरीय संसाधन समूहः

राज्य स्तर पर निम्न अधिकारियों का एक संसाधन समूह गठित किया जाएगाः–

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (विशेषतयः मनरेगा, स्वच्छता अभियान, आजीविका, प्रशिक्षण व पंचायती राज के विभिन्न मुददों से सम्बन्धित)।
2. कृषि, बागवानी, सिंचाई, भूमि सुधार, इत्यादि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी
3. लोक प्रशासन संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानार्चाय/वरिष्ठ प्रवक्ता
4. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि
5. संयुक्त सचिव/उप सचिव, पंचायती राज (सदस्य सचिव)

राज्य संसाधन समूह को योजना तैयार करने से सम्बन्धित विशेषज्ञ को विशेष रूप से बैठकों में आमन्त्रित करने का अधिकार होगा। यह समूह आवश्यकता अनुसार बैठकें आयोजित करेगा तथा पचांयत सहभागी योजना के निर्माण के लिए आवश्यक क्षमतावृद्धि हेतु नीति तथा सामग्री तैयार करेगा। इसके साथ–साथ निचले स्तर पर प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगा। योजना तैयार करने के सम्बन्ध में विभिन्न शंकाओं के समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा।

## 7.4 जिला स्तरीय परिचालन एवं संसाधन समूहः

सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिचालन एवं संसाधान समूह का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. जिलाधीश द्वारा मनोनीत दो पंचायत समितियों के अध्यक्ष
3. जिलाधीश द्वारा मनोनीत 6 ग्राम पंचायतों के प्रधान
4. अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य
5. अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण
6. जिला योजना अधिकारी

7. जिला कल्याण अधिकारी
8. कार्यक्रम अधिकारी आई.सी.डी.एस.
9. जिला चिकित्सा अधिकारी
10. कृषि, बागवानी, शिक्षा तथा वन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी
11. गैर सरकारी संगठन/सेवानिवृत कर्मचारी/शिक्षाविद्ध/पूर्व पंचायती राज निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 5 प्रतिनिधि जिनका योजना सम्बन्धी कार्यों में दक्षता हो।
12. उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.
13. सचिव जिला परिषद् एवं जिला पंचायत अधिकारी, सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति समय–समय पर योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठके करेगी तथा योजना के कार्यान्वयन में आ रही विभिन्न कठिनाईयों का आंकलन करके उनके समाधान हेतु जिला स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगी। बैठक की कार्रवाई तथा जारी दिशा निर्देशों की प्रति निदेशक पंचायती राज सूचनार्थ प्रेषित करेगी।

## 7.5 खण्ड स्तरीय समन्वय समिति संसाधन समूहः

प्रत्येक खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

1. सहायक अभियन्ता/खण्ड अभियन्ता, पंचायत समिति
2. कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति
3. शिशु एवं बाल विकास अधिकारी
4. सहायक कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा
5. बागवानी, कृषि, वन, स्वास्थ्य विभागों के खण्ड स्तरीय प्रतिनिधि।
6. गैर सरकारी संगठन/सेवानिवृत कर्मचारियों/पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों इत्यादि से 5 विशेषज्ञ जिन्होनें सम्बन्धित क्षेत्र में काम किया हो।
7. समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी
8. पंचायत निरीक्षक, सदस्य सचिव

समिति आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों को बैठकों में आमन्त्रित कर सकती है। उक्त स्तरीय उक्त समिति समूहवार ग्राम पंचायतों की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु कदम उठाएगी। परियोजना बनाने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों को परामर्श तथा सहायता प्रदान करेगी। समिति एक मास में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जा

रही योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त कठिनाईयों एवं सुझावों के आधार पर योजना के सफल निर्माण हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगी। विकास खण्ड स्तर पर ब्राड बैंड की सुविधा तथा तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता के मध्यनजर योजना तैयार करने तथा समीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया प्लान प्लस साफटवैयर का उपयोग किया जाएगा।

### 7.6 धनराशि जारी करना:

केन्द्रीय वित्तायोग की सिफारिशों के मध्यनजर विभाग द्वारा धनराशि सीधे पंचायतों को जारी की जाएगी जिसकी सूचना खण्ड स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी को प्रदान की जाएगी ताकि उक्त स्तरों पर पंचायतों को प्रदान की गई राशि के उपयोग की समीक्षा की जा सके और समय–समय पर पंचायतों से निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सके। जिला स्तरीय तथा खण्ड स्तरीय अधिकारी पंचायत में भ्रमण के दौरान इस राशि के उपयोग की समीक्षा करेगें तथा रिपोर्ट निदेशक पंचायती राज को प्रेषित की जाएगी।

*******

# अध्याय–8

## सहभागी योजना तथा क्षमतावृद्धि हेतु संस्थागत सहायता

### 8.1 राज्य स्तरः

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा क्षमतावृद्धि हेतु राज्य स्तर पर नॉडल संस्थान होगा जिसके द्वारा क्षमतावृद्धि की समस्त कार्य योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की जाएगी। क्षमतावृद्धि के निम्न दो भाग होंगेः–

(क) राज्य, जिला, खण्ड तथा इससे निचले स्तर पर प्रशिक्षण

(ख) आई.ई.सी. के माध्यम से वातावरण निर्माण

### 8.2 राज्य स्तर पर प्रशिक्षण व संस्थागत सहायताः

राज्य स्तर पर जिला स्तरीय प्रतिनिधियों जो योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगें, एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजना किया जाएगा। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा इस हेतु समस्त सामग्री तैयार करेगा इसके साथ–साथ संसाधन व्यक्तियों का एक समूह भी तैयार किया जाएगा जिसमें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस समूह में अन्य विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकेंगे। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात इस समस्त कार्यक्रम को जिला स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश हमारी पंचायत–हमारी योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने से पूर्व राज्य स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें पंचायत स्तरीय योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाएगी और इस कार्य को एक अभियान के रूप में आगे चलाने हेतु आहवान किया जाएगा। निदेशालय/पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में इस कार्य के लिए एक परियोजना प्रबन्धन ईकाई का गठन किया जाएगा जिसमें आईईसी, डाटा प्रबन्धन, आईटी, विकेन्द्रीकृत योजना इत्यादि से सम्बन्धित ज्ञान वाले व्यक्तियों को रखा जाएगा।

### 8.3 जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं संस्थागत सहायताः

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् जिला स्तर पर उन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। जिला स्तर पर निम्न श्रेणियों को प्रशिक्षित किया जाएगाः–

1. जिला स्तरीय परिचालन समिति एवं संसाधन समूह के सदस्य
2. खण्ड स्तरीय परिचालन समिति एवं संसाधन समूह के सदस्य
3. जिला स्तरीय विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति

राज्य स्तर की भान्ति जिला स्तर पर प्रत्येक संसाधन केन्द्र में एक परियोजना प्रबन्धन ईकाई का गठन किया जाएगा जिसमें विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों को लिया जाएगा और जिला स्तरीय प्रशिक्षण का समस्त

कार्य उक्त संसाधन केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा।

### 8.4 खण्ड स्तरीय प्रशिक्षणः

खण्ड स्तर पर निम्न लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगाः–

1. खण्ड से सम्बन्धित जिला परिषद् सदस्यों तथा पंचायत समिति के सदस्य
2. ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा खण्ड स्तरीय विभिन्न विभागों के कर्मचारी।

खण्ड स्तर पर पहले पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके पश्चात् समय–समय पर आवश्यकतानुसार रिफ्रैशर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

### 8.5 ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणः

खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा जिसमें निम्न श्रेणियों को प्रशिक्षित किया जाएगाः–

1. ग्राम पंचायत की स्थाई समिति के सदस्य
2. ग्राम पंचायत के सलाहकार समितियों के सदस्य
3. ग्राम पंचायत स्तरीय विभिन्न विभागों के कर्मचारी

उक्त श्रेणियों को भी मूल प्रशिक्षण के पश्चात् समय–समय पर आवश्यकतानुसार रिफ्रैशर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए मॉडयूल, प्रशिक्षण सामग्री, समय सीमा तथा व्यय के मानक प्रयोग किए जाएंगे।

### 8.6 प्रशिक्षण का समन्वयः

समस्त प्रशिक्षण का कार्यक्रम निदेशक पंचायती राज विभाग के मार्गदर्शन तथा दिशानिर्देश में आयोजित किया जाएगा जिनको निदेशालय स्तर पर समस्त अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाएगा तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा के प्रधानाचार्य इस हेतु राज्य समन्वयक होंगे। जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा जिला पंचायत अधिकारी क्रमशः जिला समन्वयक व नोडल अधिकारी होंगे। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति खण्ड समन्वयक तथा पंचायत निरीक्षक नौडल अधिकारी होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जिला परिषद की बैठक कक्षों, पंचायत समिति बैठक कक्षों जिला स्तरीय संसाधन केन्द्रों तथा ग्राम पंचायत भवनों में किया जाएगा। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा द्वारा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ तथा थुनाग के माध्यम से समस्त कार्यक्रमों की देख रेख तथा पर्यवेक्षण की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात् जिलों तथा खण्डों द्वारा इसकी पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा के माध्यम से निदेशालय को भेजी जाएगी।

## 8.7 क्षमतावृद्धि हेतु सूचना, शिक्षा एवं प्रसारः

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा निदेशालय के सम्पूर्ण मार्गदर्शन में क्षमतावृद्धि हेतु सूचना, शिक्षा एवं प्रसार सामग्री तैयार करेगा जिसके लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत उक्त मद में प्राप्त धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपरोक्त गतिविधियों हेतु धनराशि जिलों तथा विकास खण्ड को भी प्रदान की जाएगी जो उक्त राशि को व्यय करते समय प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों का पालन करेंगे।

## 8.8 कठिनाईयों को दूर करनाः

हमारी पचांयत–हमारी योजना को लागू करने में यदि कठिनाईयां सामने आती है तो उनको दूर करने हेतु विभाग प्रभारी मन्त्री के अनुमोदन से स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा।

*******

**अनुबन्ध–1**

## "हमारी पंचायत–हमारी योजना" हेतु स्थिति के विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों का क्षेत्राधिकार

| स्थाई समिति का नाम | हस्तान्तरित विषय | कार्य विवरण | सदस्यों की उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| कार्य समिति | ग्रामीण सड़कों, रास्तों, शमशान घाटों, कब्रिस्थानों, सार्वजनिक भवनों और औद्योगिक एवं कौशल विकास से सम्बन्धित कार्य। | • उक्त कार्यक्रमों के तहत सृजित सम्पतियों का विवरण<br>• उक्त कार्यक्रमों के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान।<br>• उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को सूचिबद्ध करना।<br>• उक्त कार्यक्रमों में अधूरी कढ़ियों की पहचान करके लम्बी अवधि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए परिसम्पतियों के सृजन तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु संस्तुति करना। | स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य<br>ग्राम पंचायत का सचिव/सहायक तथा अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पचायत द्वारा नामित किया गया हो। |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति | स्वास्थ्य एवं परिवर कल्याण, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बालकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वृद्धों, विधवाओं, बालिकाओं इत्यादि के कल्याण से सम्बन्धित कार्य। | • उक्त कार्यक्रमों के तहत पात्र व्यक्तियों की पहचान के साथ–साथ ढांचागत विकास की पहचान करना।<br>• वर्तमान में उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को सूचिबद्ध करना।<br>• उक्त कार्यक्रमों के तहत अधूरी कढ़ियों की पहचान करके लम्बी अवधि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए परिसम्पतियों के सृजन तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु संस्तुति करना। | स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य<br>आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ता तथा अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया गया हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| शिक्षा समिति | शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां | • उक्त कार्यक्रमों के तहत पात्र व्यक्तियों की पहचान के साथ–साथ ढांचागत विकास की पहचान करना।<br>• वर्तमान में उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को सूचिबद्ध करना।<br>• उक्त कार्यक्रमों के तहत अधूरी कढ़ियों की पहचान करके लम्बी अवधि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए परिसम्पतियों के सृजन तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु संस्तुति करना। | स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य<br>शिक्षा विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया गया हो। |
| वन समिति | वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, वन की आग की रोकथाम इत्यादि से सम्बन्धित कार्य। | • वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, वन की आग के अन्तर्गत क्षेत्रों को चिहिन्त करना।<br>• वर्तमान स्थिति का जायजा।<br>• अधूरी कढ़ियों की पहचान करके लम्बी अवधि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए परिसम्पतियों के सृजन तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु संस्तुति करना। | स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य<br>वन विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया गया हो। |
| ग्रामीण विकास एवं कृषि उत्पादन समिति | गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आवास, मनरेगा, कृषि, बागवानी उत्पादन, पशुपालन तथा अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं से सम्बन्धित कार्य। | • उक्त कार्यक्रमों के तहत पात्र व्यक्तियों की पहचान के साथ–साथ ढांचागत विकास की पहचान करना।<br>• वर्तमान में उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को सूचिबद्ध करना।<br>• उक्त कार्यक्रमों के तहत अधूरी कढ़ियों की पहचान करके लम्बी अवधि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए परिसम्पतियों के सृजन तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु संस्तुति करना। | स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य<br>ग्राम रोजगार सेवक, कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पचायत द्वारा नामित किया गया हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य समिति | सिचाई और जन–स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्य। | • उक्त कार्यक्रमों के तहत पात्र व्यक्तियों की पहचान के साथ–साथ ढांचागत विकास की पहचान करना।<br>• वर्तमान में उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को सूचिबद्ध करना।<br>• उक्त कार्यक्रमों के तहत अधूरी कढ़ियों की पहचान करके लम्बी अवधि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए परिसम्पतियों के सृजन तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु संस्तुति करना। | स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य<br>सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम ˙पचायत द्वारा नामित किया गया हो। |
| नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता समिति | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोगता से सम्बन्धित कार्य। | • उक्त कार्यक्रमों के तहत सृजित सम्पतियों का विवरण<br>• उक्त कार्यक्रमों के तहत पात्र व्यक्तियों की पहचान।<br>• उक्त कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को सूचिवद्व करना।<br>• उक्त कार्यक्रमों में अधूरी कढ़ियों की पहचान करके लम्बी अवधि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए परिसम्पतियों के सृजन तथा लाभार्थियों की सहायता हेतु संस्तुति करना। | स्थाई समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य<br>खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया गया हो। |

उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे विषयों के आकलन/विश्लेषण तथा अधूरी कड़ियों की पहचान हेतु जो उपरोक्त स्थाई समितियों में से किसी भी स्थाई समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, के लिए सामान्य स्थाई समिति का गठन किया जा सकेगा जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत का प्रधान करेगा। ग्राम पंचायत के 3 अन्य सदस्य इसके सदस्य होंगे तथा ग्राम पंचायत का सचिव इसका सदस्य सचिव होगा। स्थाई समितियों के लिए ग्राम सभा से सदस्यों का नामांकन किया जाएगा तथा एक सदस्य एक से अधिक स्थाई समिति में हो सकता है परन्तु वह दो से अधिक स्थाई समितियों में भाग नहीं लेगा।

*******